फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री रामचन्द्र सुथार नि. वार्ड नं. 13, भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिलाः भीलवाड़ा–311001

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, खमनोर

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 20/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.04.2023 पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, खमनोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, खमनोर वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, खमनोर से जरिये पृष्ठाकंन पत्रांक आरटीआई/2023/170–171 दिनांक 04.04.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम टांटोल तहसील खमनोर से संबंधित सभी खसरा के फार्म P-14 की प्रतिया चाही गई है जो राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के तहत नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा जिस संवत् की प्रतिलिपि चाही गई है नियमानुसार राजकिय शुल्क जमा करा प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते है तथा सन् 1971 से पूर्व की चाही गई सूचना का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, खमनोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, खमनोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी किस–किस संवत् की सूचना चाहते है उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी स्वंय तहसीलदार, खमनोर के कार्यालय में कार्यदिवस में उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन कर निर्धारित शुल्क जमा करा P-14 की प्रतिया व अन्य वांछित सूचना/जानकारी प्राप्त करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, खमनोर को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमंद